झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

# अधिसूचना

संoसंo–01/मुकo–01–115/2014 1916 राँची दिनांकः– 01/8/24

श्री सुशील कुमार, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता नागरिक अंचल, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा W.P. (S) No.-994/2014 के माध्यम से दिनांक–30.12.2005 के प्रभाव से (प्रभारी कार्यपालक अभियंता बनाए जाने की तिथि) से कार्यपालक अभियंता के पद पर नियमित प्रोन्नति प्रदान करने हेतु माo झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक–24.07.2019 को आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी भाग इस प्रकार हैः–

"...... Having heard the learned counsel for the parties. this court finds that the petitioner had worked in the post of Executive Engineer-in-In-Charge capacity w.e.f. 30.12.2005 and he has been provided regular promotion w.e.f. 29.08.2013 and also this court finds that the Coordinate bench of this court has passed the order that the petitioner of that case is entitled to get salary w.e.f. he assumed the charge on the post. The learned Single Judge has taken into consideration Rule 58 of the Jharkhand Service Code and the order dated 22.06.2012 passed in W.P. (S) No. 1100 of 2007 has been confirmed by the Division Bench in L.P.A. No. 471 of 2012. Annexure 7 the order dated 14.12.2005 whereby the person has been provided the promotion on the post of Chief Engineer w.e.f. he worked as an In-charge capacity. Thus the petitioner is also entitled to be promoted on the post of Executive Engineer w.e.f. the date he was made in incharge capacity i.e. 30.12.2005.

In view of the above discussion, this writ petition is allowed. Respondents are directed to provide the regular promotion to the petitioner w.e.f. 30.12.2005 i.e. the date he has been made in-charge Executive Engineer. The respondents shall pass order in this regard within six weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

With the aforesaid observation and direction this writ petition stands disposed of."

2. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा L.P.A. No.-781/2019 दायर किया गया, जिसे माo उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। तदोपरांत विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP (Civil) No.-26325/23 (The State of Jharkhand vs Sushil Kumar) दायर किया गया, जिसे माo सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P. (S) No.-994/2014 सुशील कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–24.07.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री कुमार को दिनांक–30.

1/8/24

12.2005 के प्रभाव से (प्रभारी कार्यपालक अभियंता बनाये जाने की तिथि से) कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में मार्गदर्शन हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से अपेक्षा की गयी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा L.P.A.No. 781/2019 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP No.-26325/23 को निरस्त किये जाने के क्रम में W.P. (S) No.-994/2014 सुशील कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–24.07.2019 को पारित आदेश का अनुपालन बाध्यकारी हो गया है।

4. श्री सुशील कुमार को दिनांक–30.12.2005 के प्रभाव से (प्रभारी कार्यपालक बनाये जाने की तिथि) कार्यपालक अभियंता के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गयी। तदोपरांत सम्पूर्ण तथ्यों के समीक्षोपरांत मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में वाद सं०–W.P. (S) No.-994/2014 सुशील कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में श्री सुशील कुमार को दिनांक–30.12.2005 के प्रभाव से (प्रभारी कार्यपालक अभियंता बनाये जाने की तिथि से) पूर्वोदाहरण नहीं मानने के शर्त्त पर कार्यपालक अभियंता के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

5. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. प्रस्ताव पर वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची की सहमति प्राप्त है।

7. प्रस्ताव पर विधि विभाग, झारखण्ड, राँची की सहमति प्राप्त है।

8. प्रस्ताव पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की सहमति प्राप्त है।

9. विभागीय संलेख ज्ञापांक–1199 दिनांक–27.05.2024 में सन्निहित प्रस्ताव पर दिनांक–19.06.2024 को सम्पन्न बैठक में मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(विजय कुमार गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–01/मुक०–01–115/2014 ......1917......... राँची दिनांकः– 01/8/24

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के अगामी अंक में में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(विजय कुमार गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

01.8.24

ज्ञापांक–01/मुक०–01–115/2014 1917 राँची दिनांकः– 01/8/24

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची /कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–01/मुक०–01–115/2014 1917 राँची दिनांकः– 01/8/24

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/वित्त विभाग/विधि विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–01/मुक०–01–115/2014 1917 राँची दिनांकः– 01/8/24

प्रतिलिपिः–निदेशक (SBM-G)/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/अभियंता प्रमुख कोषांग/सभी मुख्य अभियंता (प्रक्षेत्र सहित)/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी कार्यपालक अभियन्ता (यांत्रिक सहित)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, ई–गजेटियर/लेखा शाखा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–01/मुक०–01–115/2014 1917 राँची दिनांकः– 01/8/24

प्रतिलिपिः श्री सुशील कुमार, सेवानिवृत्त प्रभारी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता नागरिक अंचल, राँची, पता–401, सोलिटेयर वसुंधरा, केनरा बैंक के सामने, पो०+थाना–डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–01/मुक०–01–115/2014 1917 राँची दिनांकः– 01/8/24

प्रतिलिपिः राज्य समन्वयक (IT) पी०एम०यू०/श्री फैज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेवसाईट एवं ई–गजट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

01.8.24